

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश (अखण्ड)।**

संख्या- प्राथिप/प्रथिपद/सम्बद्धता/2020/1071

अखण्ड दिनांक: 15-08-2020

->कार्यालय ड्राप-<

अखिल भारतीय जनता पार्टी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कांसरी कायमनाम जीप इम्प्लायर्स नई दिल्ली द्वारा दिये गए 2020-21 हेतु किरीटल भारतीय जनता पार्टी शिक्षा बोधार्थों को अनुमोदन प्रदान किए जाने को धरती प्राथमिक शिक्षा परिषद, अखण्ड अखण्ड के सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-08-2020 को अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, अखण्ड अखण्ड की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु कार्यदिप्त नई सम्बद्धता को सम्बद्धता/पूर्व के सम्बद्धित सम्बद्धता को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि संबंधित अन्य गती पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

उक्त को अनुमोदन में सम्बद्धता-समिति की बैठक के मद्-3 में विस्तारम इस कार्यवाही पाठ्यक्रम सम्बद्धता करने वाली पूर्व से सम्बद्धता सम्बद्धता का प्रदान रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सत्र विचार-विचार का निम्नानु निर्णय लिया गया -

विशेषी जीप में सम्बद्धता किरीटलम इस कार्यवाही पाठ्यक्रम सम्बद्धता करने वाली सम्बद्धता, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, अखण्ड अखण्ड से पूर्व से सम्बद्ध है, सत्र सत्र 2020-21 हेतु प्रथमोद्योग द्वारा सभी सम्बद्धता अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन सम्बद्धताओं में किरीटलम द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुमोदन प्रदान करने को सम्बद्धता अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता से सत्र सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विचार किया गया एवं कार्यवाही से किरीटलम द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार को अनुमोदन में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय किया गया।

दिनांक 14-08-2020 को वास्तु सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय को अनुमोदन में किये गये संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, अखण्ड अखण्ड द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नानुसार जारी की अखिल-पाठ्यक्रम एवं इसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संख्या क्र. सं.	संख्या का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	किरीटलम द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता	किरीटलम द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश क्षमता
1	2024	मदन मोहन लाल लखोट इन्स्टीट्यूट जीप कार्यवाही, विभिन्न एम. एल. - सी. एल. सम्बद्धता, सी. एल.	विस्तार इस कार्यवाही	८०	८०

सम्बद्धता हेतु नोट

- ✓ सत्र सम्बद्धता/किरीटलम/किरीटलम द्वारा विस्तार को जारी जारी का पूर्ण प्रदान करनी।
- ✓ सत्र उक्त प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद अखण्ड अखण्ड प्राथमिक शिक्षा परिषद विस्तार/विस्तार/विस्तार (अखण्ड अखण्ड अखण्ड-2018 तथा अन्य निर्मित विस्तार एवं जोड़े) को अनुमोदन जारी तथा सुम्ब विस्तार/विस्तार द्वारा विस्तार सुम्ब तीन प्रवेश द्वारा/पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2020-21/- प्रथमोद्योग, दो प्रवेश कार्यवाही पाठ्यक्रम हेतु 80-85,000/--प्रथमोद्योग एवं एक सत्र दो प्रवेश पाठ्यक्रमों (दो प्रवेश कार्यवाही पाठ्यक्रम को जोड़िये) हेतु 80-22,000, 00 प्रथमोद्योग सुम्ब ही प्रवेश सत्र/पाठ्यक्रम में प्रदान किया जायित। प्रथमोद्योग के अधिकतम सत्र/कार्यवाही में सुम्ब के सत्र/पाठ्यक्रम में अखण्ड-अखण्ड पर सत्र/पाठ्यक्रम विस्तार किये जाने वाले सम्बद्धता प्रथमोद्योग प्रथमोद्योग और अनुमोदन कार्यवाही किया

[Handwritten initials]


Principal
 Block School La Motte Institute of Research
 Gaur, Gaur Gaur State

- ✓ जांच असाध्य होगा। और निर्देश समिति द्वारा दिये गए 2000-21 हेतु नीम का पुनर्निर्माण किया जाता है। तो नीम की परीक्षण की जाय होगी।
- ✓ संस्था को विचार प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा जल संचयन, सफाई को सम्बद्ध किया। जम्मा विनियमन-2000 की धारा का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जायेगा। कौटुंबिक शिक्षा एवं जाने की विधियों में जल प्रवेश सामान के निर्देशानुसार ही कार्य की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सफा-सफा का निर्देश सामग्री के अनुसार विनियम एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना जल जल होगा।
- ✓ संस्था को सफाई/परिष्कार/परिष्कार/परिष्कार में जलानी मात्र हेतु अनुपालन जल किया जाये असाध्य होगा।
- ✓ संस्था जल प्रवेश सामान द्वारा बनाये गये विधि/निर्देश/अनुपालन/सामग्री/निर्देशों एवं निर्देश, आयोजित किया जाय, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद 2000 एवं आयोजित किया परिषद 2000 द्वारा बनाये गये विधि, विनियम, कार्यवाही निर्देशों का पालन करने के लिए कार्य करेगी।
- ✓ निर्देश द्वारा जलानी पर्यवेक्षण की संस्था परीक्षा/कर्म, नई विधियों में अनुपालन प्राप्त करने में अनुपालन करती है। तो इस संस्था में जलानी पर्यवेक्षण संस्था का होगा और विधि एवं के विधि की कार्यवाही के लिए संस्था पर्यवेक्षण करती होगी। आयोजित किया परिषद समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, आयोजित किया निर्देशानुसार एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग जल प्रवेश सामान को कर्म एवं प्रवेश किया जाता है तथा प्राप्त मात्र के संस्था में जल आयोजित द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी कार्यवाही निर्देश किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधी कार्यवाही करती होगी।
- ✓ निर्देश द्वारा जलानी पर्यवेक्षण सम्बन्धित करने वाले सम्बद्धों को समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, जल प्रवेश पर्यवेक्षण द्वारा प्रवेश करे के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित प्राप्त होने के लिए परीक्षा/कर्म के अनुपालन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को सम्बद्ध कराना होगा जलानी एवं प्रवेश की (आयोजित के सम्बन्ध में जलानी संस्था पर्यवेक्षण पर भी प्रवेश अनुपालन नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ जल प्रवेश सामान द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश सम्बन्धित सामान विभाग का अनुपालन जल आयोजित होगा।
- ✓ संस्था को जल विभाग पर संस्था की संस्था सुधारों जैसे संस्था की पर्यवेक्षण सुनिश्चित, जल, जल-जल, पर्यवेक्षण, जल किया जाने क्या सुनि, आयोजित सुनि अदि का विवरण प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्था को विचार-परिष्कार हेतु पर्यवेक्षण आयोजित पर्यवेक्षण करने की संस्था परिषद होने की संस्था में जलानी आयोजित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करती होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो के कि संस्था में आयोजित/सम्बन्धित पर्यवेक्षण को जलानी करने हेतु निर्देश समिति के संस्था पर्यवेक्षण करने एवं आयोजित, सुनि-पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण इत्यादि का जल संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण में आयोजित में प्रवेश किया जाता है और परिषद को सुनिश्चित करती होगी है कि संस्था जलानी का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने करने की अनुपालन की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता कर्म का अनुपालन न किया जाने प्रवेश करती का अनुपालन किया जाने की विधि में विनियमना अनुपालन/सम्बद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(या आयोजित विधि)
सचिव

पुनर्निर्माण- प्राथमिक/परिष्कार सम्बद्धता/2000/ 1972-2141

तद दिनांक 15-08-2020

प्रतिनिधि- जलानी/निर्देश, जल नीम जल पर्यवेक्षण इन्स्टीट्यूट ऑफ जलानी, जल एवं जल- निर्देश, जलानी, जलानी।

(या आयोजित विधि)
सचिव
Principal
Jal Janani Institute of Water
Jal Janani Institute of Water

कार्यालय,

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश भवन

संख्या - उत्तरप्रदेश उच्च शिक्षा परिषद/संस्कृतिका/2021/3637

संस्कृतिका दिनांक: 08/08/2021

कार्यालय भाग-

इसलिए भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/आईसीटीआई काठिनित अंतर्राष्ट्रीय, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु किनोया राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की अनुमोदित पदान किए जाने के अलावा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से संबंधित/संबंधित विस्तार पदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में संबंधित समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को संबंधित एवं से संगठित संस्थाओं को संबंधित विस्तार पदान करने पर चर्चा करते हुए सत्र 2021-22 हेतु संबंधित/संबंधित विस्तार पदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

संबंधित समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार में किन संस्थाओं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संस्कृतिका द्वारा सत्र 2021-22 हेतु किनोया राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को संबंधित एवं से संगठित संस्थाओं को संबंधित विस्तार पदान की जाती है:-

संस्था का पता एवं नाम : 2054-MADAN MOHAN LAL MEHOTRA INSTITUTE OF PHARMACY VILL & POST-REBORA KANWAKHERA SITAPUR-251021

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/रीटिंग/वीथी/सत्र/द्वारा	परिषद द्वारा सत्र 2021-22
1	DIPLOMA IN PHARMACY	एडमिशन/रीटिंग/वीथी/सत्र/द्वारा 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता 60	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता 60

संस्कृतिका हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिशन/रीटिंग/वीथी/सत्र/द्वारा किनोया राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का पूर्णतः प्रारंभ करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1980 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, रीजिस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क रीटिंग/वीथी/सत्र/द्वारा पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150/00- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000/00- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 32500/00- प्रतिवर्ष शुल्क दो प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में संवद-समय पर सामन द्वारा निर्देश किये जाने वाले आदेशों का पालन होगा, और तदनुसार कार्यवाही किया जाता जाएगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो प्रवेश की नवीनतम दरें लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उच्च) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उच्च समितियां, संस्थाओं को संवद किया जाता। विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों के निकल रहे जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश संस्कृतिका के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को संवद-समय पर निर्देश आदेशों के अनुसार निर्धारण एवं संबंधित शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/रीटिंग/वीथी/सत्र/द्वारा से आयोजी सत्र हेतु अनुमोदित पदान किया जाता जाएगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनये गये विनियमवली/विनियमवली/आदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनये गये विनियमवली/विनियमवली/आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।



- ✓ किन्तुमा हुन परीक्षा पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि वे ही उन्हें, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संबंध में समस्त उत्तराखण्ड संस्था का हीमा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए समस्त स्वयं उत्तराखण्डी होंगे। एडिथिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, एडिथिक शिक्षा निर्देशालय एवं एडिथिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश परीक्षा को कोई बाध उत्पन्न किया जाता है तथा तथा बाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था को अपनी होगी।
- ✓ किन्तुमा हुन परीक्षा पाठ्यक्रम संघर्षित करने वाली संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तराखण्ड द्वारा प्रवेश एवं के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु संघर्षित किए पराम होने के पूर्व पीएलआईएड से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद आयोजन में उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (संघर्षित) के साधन से अथवा संस्था द्वारा या ही प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जावेगी।
- ✓ उत्तरा प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सर्वोत्तम आयोजन विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाओं जैसे संस्था की ऐतिहासिक भूखि भूमि, स्टाफ, सज-सज्जा, उपकरण, बाध किया जाने वाला भुक्त, (प्रभावित भुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ विगत विधान के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संघर्षित पाठ्यक्रम को प्रसारित करने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध करने एवं प्रसिद्धि, भूमि-सज्जा, कर्मीय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के प्रसारण में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संस्था की सम्बन्धित समाप्त किये जाने की अनुमति की जावेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निर्देशन दौरान यदि संस्था से भूमि, सज्जा, कर्मोत्तारा, उपकरण एवं अन्य सज-सज्जा एडिथिक शिक्षा निर्देशन पीएलआईएड परिषद के मासिकनुसार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संस्था की सम्बन्धित समाप्त कर दी जावेगी।
- ✓ सम्बन्धित सर्तों का अनुपालन न किये जाने (संस्था सर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(मुनीज कुमार खिखर)

सचिव

सूचना- एडिथिक परिषद सम्बन्धित 021-3638-4309

दिनांक: 05/08/2021

प्रतिभूति:

उत्तराखण्ड एडिथिक MADAN MOHAN LAL MEHOTRA INSTITUTE OF PHARMACY VILL & POST-RESORA
KANWAKHERA, SITAPUR-251001



(मुनीज कुमार खिखर)

सचिव



उत्तराखण्ड एडिथिक
MADAN MOHAN LAL MEHOTRA INSTITUTE OF PHARMACY
KANWAKHERA, SITAPUR-251001

जहाँ सार सुन्क, सावधान सुन्क अदि का विवरण उपरोक्त कायदा (होत)

- ✓ संस्था को शिक्षण-विकास हेतु अनुसूचित संरक्षण उपलब्ध कराते के साथ शिक्षण विषयों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक उपकरण सुनिश्चित कराते होत।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ते कि संस्था में परामर्शित संशोधित पर्यवेक्षण को चलाते जाने हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपकरण कराते गते अतिरिक्त अनुसंधान, कक्षाया, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण के संवाहन में प्रयोग किया जाता है, तौ परिसर को इसकी आवश्यकता होत है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बन्धित संस्थापक कि से जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्वीकृत निर्दिष्टा के अतिरिक्त यदि संस्था में सुनि, कक्षा, कक्षायाया, उपकरण एवं अन्य साधन-सामग्री का उपयोग/संशोधन/संशोधन के संरक्षण/संरक्षण के संरक्षण/संरक्षण उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बन्धित संस्थापक का दी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित सत्री का अनुपालन न किये जाने अथवा सत्री का अनुपालन किये जाने की रिपोर्ट में निम्नानुसार अनुसंधान/संरक्षण कार्यवाही की जायेगी।


(संरक्षण सत्री)

तारीख:

दिनांक: 20/08/2022

सूचना- शक्ति/सशिक्षण/सम्बन्धित/2022/7818-8450

पता/संस्था:

शक्ति/सशिक्षण/MADAN MOHAN LAL MEHROTRA INSTITUTE OF PHARMACY, RESORA, SOFAPUR :


(संरक्षण सत्री)

तारीख:


Principal
Madan Mohan Lal Mehertra Institute of Pharmacy
Resora Sofapur

संशोधन

उच्च प्राथमिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धित/2023/12090001

दिनांक: 12-09-2023

संशोधन मापः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं राष्ट्रीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित विभागीय स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान करने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ-२ संघर्ष में सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 29-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद संशोधन में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वर्ष 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद राष्ट्रीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा जित गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्न वर्ग निर्णय के अनुसार निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ। २। संघर्ष द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु विस्तारित करने के अतिरिक्त पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश कराया हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं पता : 2034-MADAN MOHAN LAL MEHROTRA INSTITUTE OF PHARMACY, NEBORA, SITAPUR			
क्रम सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/विस्तार दिनांक/वर्ष	परिषद द्वारा वर्ष
1	DIPLOMA IN PHARMACY	02/08/2023 एवं अनुमोदित वर्ष अगस्त 2023-24 हेतु अनुमोदित वर्ष अगस्त 2023-24 हेतु	2023-24 हेतु अनुमोदित वर्ष अगस्त 2023-24 हेतु

सम्बद्धता हेतु उर्त

- ✓ प्राथमिक शिक्षा, अनुक्रम-३ उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 211716-33333/33333 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित संस्था संस्थाओं की ओर के शिक्षा संशोधन विभाग में अतिरिक्त शिक्षा संख्या 0027/2023 में तकनीकी शिक्षण के अतिरिक्त निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राष्ट्रीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करती है।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राष्ट्रीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली के संस्था के अनुक्रम संघर्ष में उपस्थित संस्थाएं (सूची संख्या, पत्र संख्याएं) अति संशोधन हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1882 एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1882, विनियमवली-2000, संशोधन विनियमवली-2018 एवं संस्था-संस्था पर निर्णय संशोधन, का अनुक्रम संशोधन एवं शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही परीक्षा अत्र प्रवेश में धारण किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थाओं से शुल्क के सम्बन्ध में सवाल-जवाब पर संस्था द्वारा निर्णय किया जाने वाले कारणों पर संस्था को निर्णय दिया जाने तक संस्थाओं को प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
- ✓ संस्था में अनुक्रम उर्त परीक्षा परीक्षा द्वारा अतिरिक्त करने की है जैसे कि संस्था में।
- ✓ संस्था को संस्था-संस्था पर निर्णय संशोधन के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय विनियमवली/राष्ट्रीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली, विनियमवली, अर्थात्, निर्णय का पालन करने के लिए संशोधन है।

(Handwritten Signature)
Principal

Office of the Principal, Government of Uttar Pradesh
Principal, Government of Uttar Pradesh

- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय स्तरों पर शिक्षा प्रौद्योगिकी कानिून और एडिस, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इसे संबंध में अखिल भारतीय स्तर पर होगा और शिक्षा, नए डी कितने भी कार्यवाही के लिए संबंध स्तर उपलब्ध होगे। पब्लिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश लोक परिषद, पब्लिक शिक्षा विभाग एवं पब्लिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित सामग्री के निषेध यदि कोई बात प्राप्त किया जाता है तब द्वारा तब के समय में न, न्यूनतम द्वारा किसी प्रकार की सीमाओं नहीं रहे। निषेध किया जाता है तो अखिल प्रौद्योगिकी संबंधित स्तर पर नहीं रहे।
- ✓ संस्थाओं को संबन्धित प्रदेश लोक परिषद, उच्च प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित करने के लिए अखिल लोक शिक्षा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय स्तरों पर शिक्षा प्रौद्योगिकी कानिून और एडिस, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को अखिल स्तर पर होगा अखिल नई लोक की अनुमति प्राप्त नहीं की जायेगी।
- ✓ उच्च प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित अनुमोदन-सम्बन्धित या निर्देश अखिल उच्च स्तर शिक्षा का अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा पब्लिक शिक्षा के सुधारों पर प्रेषित या संबंध की समस्त सुधारों को संस्था की उच्चतम स्तर पर प्रेषित, उच्च स्तर पर, अखिल, उच्च शिक्षा करने वाले सुधार, उच्चतम स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था से शिक्षा-विभाग हेतु उपयुक्त वेबसाइट उपलब्ध करने के लिए उच्च स्तर के संबंध से समस्त उच्चतम स्तर पर प्रेषित कराने जाये।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित है कि संस्था में अखिल भारतीय स्तर पर प्रेषित का प्रेषित करने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कराये गए निर्देशन, सुनिश्चित, पब्लिक, उपलब्ध द्वारा ही यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वेबसाइट के संबंध से प्रेषित किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उच्चतम का प्रेषित करने के लिए कर रही है तो संस्था स्तर को उपलब्ध कराया किने जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उच्च प्रदेश पब्लिक शिक्षा (अखिल) और उच्चतम शिक्षा, विभागों का संबंध किया जाता शिक्षा, 2020 के अधिनियम द्वारा परिषद की स्तर पर अपने कार्यवाही, प्रेषित और पब्लिक को परिषद को प्रेषित के संबंध में शिक्षा के अधिनियम में प्रेषित।
- ✓ संस्था के अखिल भारतीय स्तरों के दौरान यदि संस्था की सुविधा, उच्च, उच्चतम स्तर, उपलब्ध एवं अन्य उच्चतम स्तर पर प्रेषित (अखिल) प्रेषित प्रेषित स्तर के संबंध में उपलब्ध नहीं प्राप्त करने है तो संस्था की उपलब्ध स्तर पर कर दे जायेगी।
- ✓ संबंधित स्तरों का अनुमोदन व किने जाने अखिल स्तरों का उपलब्ध स्तर प्रेषित करने की विधि में शिक्षा अनुमोदन स्तर पर प्रेषित की जायेगी।



(अनील कुमार सिंह)

सचिव

फ़ोन-0522-2212345

पता-:

MADAN MOHAN LAL MEHROTRA INSTITUTE OF PHARMACY, REBORA, SITAPUR

दिनांक: 12-09-2023



(अनील कुमार सिंह)

सचिव

